<u>**प्रेस नोट**</u>

दिनांक-27.09.2025

!! थाना सादाबाद पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना सादाबाद क्षेत्रांतर्गत महिला के साथ छेडछाड करने वाले विशेष समुदाय के युवक/अभियुक्त के साथ पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त गोली लगने से घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद। !!

अवगत कराना है कि दिनांक 27.09.2025 को एक महिला द्वारा थाना सादाबाद जनपद हाथरस पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि वह दिनांक 26.09.2025 को समय शाम 08.30 बजे अपनी पुत्री के साथ अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में अभियुक्त रिजवान पुत्र सफीक निवासी ग्राम बढार थाना सादाबाद जनपद हाथरस ने वादिया की पुत्री का हाथ पकडकर खींचातानी की व छेडखानी की तथा विरोध करने पर जाति सूचक शब्द व गाली गलौज की। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना सादाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा द्वारा उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सादाबाद के नेतृत्व में थाना प्रभारी सादाबाद को उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 27.09.2025 को थाना सादाबाद पुलिस टीम को गस्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बढार में महिला के साथ छेडछाड करने वाला अभियुक्त सादाबाद मुरसान रोड से धनौली मोड पर खडा है। उक्त सूचना थाना सादाबाद पुलिस व मिशन शक्ति टीम द्वारा धनौली मोड पर अभियुक्त रिजवान उपरोक्त को पकडने का प्रयास किया किन्तु अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। पुलिस टीमों द्वारा लगातार घेराबंदी करते हुये सादाबाद-मुरसान रोड से धनौली जाने वाले रास्ते पर थाना सादाबाद पुलिस व एन्टीरोमियो/मिशन शक्ति टीम की बदमाश से हुई पुलिस मुठभेड के उपरान्त आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में 01 अभियुक्त रिजवान पुत्र सफीक घायल/गिरफ्तार हुआ है। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
1- रिजवान पुत्र सफीक निवासी ग्राम बढार थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

बरामदगी का विवरण-
1. 01 तमंचा 315 बोर।
4. 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 438/2025 धारा 74,351(2),352 बीएनएस व 3(1)(द)(ध) SC ST ACT थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के नाम–
1. थाना प्रभारी श्री योगेश सिंह मय टीम थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
2. म0का0 कामिनी थाना सादाबाद मिशन शक्ति/एन्टी रोमियो टीम जनपद हाथरस।
3. म0का0 नेहा थाना सादाबाद मिशन शक्ति/एन्टी रोमियो टीम जनपद हाथरस।

MEDIA CELL HATHRAS